13.03.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइबर जालसाज और ग्रेटर कैलाश, दिल्ली के निवासी आशीष कक्कड़ को 02/03/2024 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत होटल हॉलिडे इन, गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आशीष कक्कड़ को 03/03/2024 को माननीय पीएमएलए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, और उन्हें 12/03/2024 तक 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी गई। आशीष कक्कड़ 2020 से 2024 की अवधि के दौरान पूरे भारत में चल रहे विभिन्न साइबर अपराधों और ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न 4,978 करोड़ रुपए की अपराध की आय (पीओसी) के सृजन करने, छुपाने और हेराफेरी में संलिप्त एक सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण सरगना है।

ईडी ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि में दर्ज एफआईआर सहित पूरे भारत में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आशीष कक्कड़ विभिन्न प्रकार की साइबर धोखाधड़ी करके, अपराध की आय उत्पन्न करके और अंततः पीओसी की भारत से बाहर हेराफेरी करके आम जनता की गाढ़ी कमाई को ठगने में संलिप्त है।

साइबर अपराध जालसाजों ने धोखाधड़ी और अपराध से प्राप्त आय उत्पन्न करने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल किया है जैसे कि निवेश धोखाधड़ी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, ऋण धोखाधड़ी आदि। आम जनता से उनकी गाढ़ी कमाई को ठगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे प्रचलित तरीकों में से एक है निवेश धोखाधड़ी में आम जनता को लुभाना, जिसमें शुरू में साइबर अपराध करने वाले धोखेबाज निवेश के बदले गारंटीशुदा लाभ की पेशकश करते थे (जैसे कि मल्टी-मार्केटिंग स्कीम) और ग्राहक में विश्वास विकसित करने हेतु एक आकर्षक रिटर्न प्रदान करते थे। इसके बाद, वे ग्राहक को किसी धोखाधड़ी योजना में निवेश करने का लालच देते हैं, जिसमें वे अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हैं। इस तरह, साइबर जालसाज ग्राहकों को अपनी जीवन भर की बचत का निवेश करने का लालच देते हैं और जब ग्राहक इसकी वापसी की मांग करते हैं तो ये जालसाज उन्हें कुछ कराधान या प्रक्रमण शुल्कों आदि की आड़ में एक और राशि का भुगतान करने के लिए कहते हैं। यह तब तक जारी रहता है जब तक ग्राहक स्वयं अपने फंड का निवेश करना बंद नहीं कर देता है, और धोखेबाजों द्वारा प्रदान किए गए बैंक खातों में निवेश/स्थानांतरित किया गया फंड नहीं जाता है।

आम जनता को धोखा देने और ठगने के बाद, अपराध की आय को आशीष कक्कड़ और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों/फर्मों के बैंक खातों में जमा किया जाता था और बाद में विदेशी जावक प्रेषण (रेमिटेनसेस) के रूप में भारत से बाहर भेज दिया जाता था। आशीष कक्कड़ और उनके अन्य सहयोगियों ने अपने कर्मचारियों के नाम पर या डमी फर्मों/कंपनियों के निर्माण के एकमात्र उद्देश्य के लिए काम पर रखे गए व्यक्तियों के केवाईसी के आधार पर 200 से अधिक कंपनियां/फर्म (जिसमें आशीष कक्कड़ लाभकारी मालिक हैं) बनाई हैं। आशीष कक्कड़, जो स्वयं इन कंपनियों में न तो निदेशक हैं और न ही कोई कार्यालय धारक हैं, अपने वफादार सहयोगियों के माध्यम से इन कंपनियों के बैंक खातों में होने वाले प्रत्येक लेनदेन को नियंत्रित करते हैं। विभिन्न बैंकों में बैंक खाते को नियंत्रित करने के लिए, आशीष कक्कड़ ने बैंक खाते खोलने और संचालन में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया है। आशीष कक्कड़ द्वारा नियंत्रित सभी कंपनियों को समान तारीखों पर शामिल किया गया था और उनके पते समान थे और उनके निदेशक समान थे। इन सभी डमी कंपनियों के पास पर्याप्त बैंकिंग लेनदेन हैं लेकिन उन्होंने आरओसी के साथ अपने वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किए हैं।

विस्तृत जांच से पता चला है कि अपराध की आय की हेराफेरी के उद्देश्य से, आशीष कक्कड़ ने एसईजेड मुंद्रा, एसईजेड कांडला आदि जैसे विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रों में दुबई, हांगकांग, चीन आदि से उच्च मूल्य की वस्तु बताते हुए (जैसे रोज़ ऑयल,

13.03.2024

सौर पैनल मशीनरी) बड़ी संख्या में माल का आयात किया, और बाद में एसईजेड से ही इसका निर्यात किया। आशीष कक्कड़ और अन्य ने आयात के बदले 4978 करोड़ रुपए का बाहरी प्रेषण (रेमिटेनसेस) भेजा है, लेकिन एसईजेड से माल के निर्यात के बदले कोई प्रेषण (रेमिटेनसेस) प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में, आशीष कक्कड़ हवाला लेनदेन के उद्देश्य से आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में शामिल है। दूसरे शब्दों में, आशीष कक्कड़ हवाला लेनदेन के उद्देश्य से आयात-निर्यात के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग में संलिप्त है।

इससे पहले, ईडी ने 22/05/2023 और 23/05/2023 को दिल्ली (11), गुजरात (7), महाराष्ट्र (4), मध्य प्रदेश (2) और आंध्र प्रदेश (1) में 25 परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की थी। इसके अलावा, भारत में संचालित विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों/वेबसाइटों के विरुद्ध की जा रही जांच के संबंध में 15/02/2024, 16/02/2024, 02/03/2024 और 03/03/2024 को 14 परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान विदेशी निर्मित सोने की छड़ें जिनका वजन 8.00 किलोग्राम (मूल्य 5.04 करोड़ रुपए), 75 लाख रुपए नकद, आभूषण, उच्च श्रेणी की लक्जरी घड़ियाँ, मर्सिडीज, ऑडी और किआ सहित उच्च श्रेणी की लक्जरी कारें अपराधिक दस्तावेज और अपराधिक डेटा वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए। आशीष कक्कड़ के परिसर से ऐसी फर्में बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए कई पैन कार्ड/आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और कार्यालय स्टाम्प जब्त किए गए। जांच एजेंसियों से बचने के लिए वे दूरस्थ (रिमोट) आधारित सर्वर/लैपटॉप का उपयोग कर रहे हैं, जिनका उपयोग एनीडेस्क, टीम व्यूअर आदि जैसे दूरस्थ (रिमोट) एक्सेस ऐप्स के माध्यम से किया जा रहा है। मौजूदा मामले में, वास्तविक परिचालन स्थानों से बहुत दूर स्थित सर्वर सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई के परिसर से दो ऐसे रिमोट एक्सेस वाले लैपटॉप भी बरामद और जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

******